पाठ - 8
माहवारी और नफ़ास

الدرس الثامن - هندي
الحيض والنفاس

प्रत्येक स्वस्थ नारी को प्रत्येक माह कुछ निष्चित दिनों के लिए रक्तस्राव होता है जिसे माहवारी कहते हैं। उसी तरह बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ दिनों तक रक्तस्राव जारी रहता है उसे नफ़ास कहते हैं।

ऐसी महिलाओं के लिए जो माहवारी के दिनों में या नफ़ास की हालत में हों नमाज़ पढ़ना या रोज़ा रखना जायज़ नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

जब माहवारी शुरु हो जाए तो नमाज़ पढ़ना छोड़ दे और जब माहवारी आना बन्द हो जाए तो अपना खून धो ले और नमाज़ पढ़े (मुत्तफ़क़ अलैह बुख़ारी 331, मुस्लिम 333)

इस अवधि में जो नमाज़ें छूट जायेंगी उनका क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता जितने रोज़े छूटे हों, उनकी क़ज़ा करनी होगी। उसी तरह माहवारी की हालत में खानए काबा का तवाफ़ करना भी जायज़ नहीं है। और माहवारी के दिनों में पति पर हराम है कि वह अपनी पत्नी के साथ संभोग करे।

रक्तस्राव बन्द होते ही औरत पाक हो जायेगी। इस अवसर पर उसके लिए नहाना अनिवार्य है। और अब उसके लिए जो चीज़ें हराम थीं, व हलाल हो जायेंगी।

यदि नमाज़ का समय हो गया और फिर उसकी माहवारी शुरु हुई तो सही क़ौल के अनुसार वह पाकी के बाद उस नमाज़ की क़ज़ा करेगी।

उसी तरह यदि औरत नमाज़ निकलने से (एक रकाअत पढ़ने में जितना समय लगता है), से पहले भी पाक हो जायेगी तो उसको नमाज़ पढ़नी होगी। और मुस्तहब है कि जो नमाज़ जिसके साथ जमा की जाती है, उसकी भी क़ज़ा करे।

मिसाल के तौर पर यदि सूरज डूबने से पहले पाक होती है तो उसे अस्र की नमाज़ भी पढ़नी होगी और ज़ोहर की नमाज़ की क़ज़ा मुस्तहब होगी। इसी तरह अगर आधी रात से पहले पाक होगी तो वह इशा की नमाज़ पढ़ेगी और उसके हक़ में मुस्तहब है कि वह मग़रिब की नमाज़ क़ज़ा करे।